



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102026-277176  
CG-DL-E-15102026-277176

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 814]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

सा. का. नि. 885(अ). – केन्द्रीय सरकार वाणिज्य जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 130 की उप-धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ज), और धारा 174 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा वाणिज्य जलयान परिवहन (समुद्र में टकराव की रोकथाम) विनियम, 1975 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य जलयान परिवहन (समुद्र में टकराव की रोकथाम) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम निम्न पर लागू होंगे-

(क) भारतीय जलयान और वाणिज्य जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन भारत में पंजीकृत अन्य जलयान;

- (ख) वाणिज्य जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के भाग 13 में उल्लिखित भारतीय जलयान;
- (ग) भारतीय जलयान से भिन्न कोई भी जलयान जब ऐसा जलयान भारतीय क्षेत्र के भीतर हो, जिसमें तटीय समुद्र भी सम्मिलित है।

3. परिभाषाएँ। - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" का अर्थ वाणिज्य जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) है;
- (ख) "प्रशासन" से समुद्रीय प्रशासन महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (ग) "अभिसमय" से समुद्र में टकराव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियमों पर अभिसमय, 1972 अभिप्रेत है, जैसा कि संशोधित किया गया है; और
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या अभिसमय में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या अभिसमय में क्रमशः दिया गया है।

4. यातायात पृथक्करण सूची - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाई गई यातायात पृथक्करण सूची, और प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य मार्ग उपाय, उन सभी जलयानों पर बाध्यकारी होंगे जिन पर ये नियम लागू होते हैं।

5. टकराव या दुर्घटना के बाद दायित्व - (1) टकराव के प्रत्येक मामले में, मास्टर, अधिनियम की धारा 159 के अनुसरण में, -

- (क) टकराव विवरण और जिन परिस्थितियों में यह घटित हुई, उसका विवरण तुरंत अधिकारिक लॉगबुक (यदि कोई हो), या अन्य रिकार्ड जो जलयान पर रखा गया हो, में दर्ज किया जाना चाहिए; और
- (ख) सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पर मास्टर और साथ ही जूटी पर मौजूद अधिकारी या नाविकों में से एक के हस्ताक्षर हैं।

(2) जहाँ इन नियमों के लागू होने वाले किसी जलयान के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो अथवा उसके कारण ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे कोई गंभीर चोट लगी हो, अथवा जलयान को ऐसा कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो, जिससे उसकी समुद्र-योग्यता या उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई हो, चाहे वह उसके ढाँचे में हुआ हो अथवा उसकी मशीनरी के किसी भाग में ऐसा परिवर्तन किया गया हो कि वह अधिनियम के अंतर्गत जलयान के संबंध में जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र में की गई जानकारी से मेल न खाता हो, तो मास्टर या स्वामी, अधिनियम की धारा-160 के अनुसरण में दुर्घटना घटित होने और नुकसान होने के बाद यथाशीघ्र तथा किसी भी स्थिति में चौबीस घंटे से अधिक विलंब किए बिना, प्रशासन या निकटतम प्रधान अधिकारी को दुर्घटना या नुकसान तथा उसके संभावित कारणों की रिपोर्ट भेजेगा। उक्त रिपोर्ट में जलयान का नाम, उसका आधिकारिक क्रमांक, उसका पंजीकरण पत्तन तथा उस स्थान का उल्लेख किया जाएगा जहाँ जलयान स्थित है।

6. उल्लंघन और घटनाओं की रिपोर्टिंग - (1) प्रत्येक मास्टर या जलयान का स्वामी जिसके लिए ये नियम लागू होते हैं, अभिसमय के उपबंधों का पालन करेगा और किसी अन्य जलयान द्वारा किसी भी उल्लंघन की सूचना निकटतम प्रधान अधिकारी या प्रशासन को यथासंभव शीघ्र देगा।

(2) प्रशासन किसी भी कथित उल्लंघन या घटना की जांच करवाएगा।

(3) जांच करने पर, यदि प्रशासन संतुष्ट है कि अभिसमय या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो प्रशासन, अधिनियम की धारा 231 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम के लागू उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जलयान की निरोध, प्रमाणपत्रों का निलंबन या रद्द करना, या कार्यवाही शुरू करना सम्मिलित है।

**7. अनुपालन के प्रमाण पत्र -** (1) प्रत्येक जलयान, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, रोशनी, आकार, ध्वनि-संकेत उपकरण और किसी अन्य पहलू के संबंध में अभिसमय की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, और इस तरह के अनुपालन को एक सर्वेक्षक द्वारा, सुरक्षा अभिसमय के अधीन जारी किए गए समुचित प्रमाण पत्र पर या ऐसे अन्य प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा, जहां केन्द्रीय सरकार पुष्टि कर विनिर्दिष्ट कर सकती है कि -

- (क) जलयान में अभिसमय के अधीन आवश्यक रोशनी, आकार और ध्वनि-संकेत उपकरण हैं
- (ख) ऐसी रोशनी, आकार और ध्वनि-संकेत उपकरण अभिसमय में विनिर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों के अनुसरण में हैं; और
- (ग) उपकरण ठीक से स्थापित, अनुरक्षित और चालू है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवश्यक विधिमान्य प्रमाण पत्र के बिना कोई भी जलयान समुद्र में नहीं जाएगा।

**8. विशेष निर्माण या उद्देश्य के जलयानों के लिए छूट -** (1) जब नॉटिकल सलाहकार संतुष्ट हो जाता है कि विशेष निर्माण या उद्देश्य का कोई जलयान विशेष रूप से जलयान के विशेष कार्य में हस्तक्षेप किए बिना रोशनी या आकार की संख्या, स्थिति, सीमा या दृश्यता के चाप, या ध्वनि-संकेत उपकरणों के स्वभाव और विशेषताओं के संबंध में अभिसमय के उपबंधों का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता है, तो नॉटिकल सलाहकार अभिसमय के अनुसरण में, -

- (क) ऐसे जलयान को रोशनी या आकार की संख्या, स्थिति, सीमा या दृश्यता के चाप, या ध्वनि-संकेत उपकरणों के स्वभाव और विशेषताओं के संबंध में ऐसे अन्य उपबंधों का अनुपालन करने की अनुमति देता है, जैसा कि नॉटिकल सलाहकार अभिसमय के साथ निकटतम संभव अनुपालन अवधारित करता है; और
- (ख) छूट या वैकल्पिक अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी करना, जिसमें अभिसमय के उपबंध विनिर्दिष्ट हों जिनका जलयान को पालन करना जलयान के लिए अपेक्षित है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी छूट या वैकल्पिक अनुपालन के प्रत्येक प्रमाण पत्र को जलयान पर ले जाया जाएगा और किसी भी सर्वेक्षक, प्रधान अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी को मांग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्रशासन इस नियम के अधीन दी गई किसी भी छूट का विवरण अभिसमय के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को सूचित करेगा।

**9. वैकल्पिक उपबंध या व्यवस्था की अनुमति देने की शक्ति -** (1) जहां रोशनी, आकार, ध्वनि-संकेत उपकरण, या अन्य उपकरणों के लिए कोई उपबंध या व्यवस्था नॉटिकल सलाहकार की संतुष्टि के लिए प्रदर्शित की जाती है, जैसा कि प्रभावी अभिसमय द्वारा आवश्यक है, नॉटिकल सलाहकार लिखित में आदेश द्वारा कर सकता है-

- (क) इस तरह के वैकल्पिक उपबंध या व्यवस्था का उपयोग करने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि कोई हो तो उन शर्तों और निर्बंधनों को विनिर्दिष्ट करें जिनके अधीन ऐसे वैकल्पिक उपबंध या व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अनुमत प्रत्येक वैकल्पिक उपबंध या व्यवस्था निरंतर प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण और निरीक्षण के अधीन होगी।

10. सर्वेक्षण और प्रमाणन के लिए शुल्क - इन नियमों के अधीन आयोजित सभी स्कीम अनुमोदन, निरीक्षण और सर्वेक्षण के लिए शुल्क, जिसमें प्रारंभिक, नवीकरण या मध्यवर्ती प्रमाणन के लिए सर्वेक्षण सम्मिलित हैं, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसरण में देय होंगे।

11. शास्तियां - इन नियमों का कोई भी उल्लंघन या उनकी किसी आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता अधिनियम की धारा 281 में यथा विनिर्दिष्ट शास्तियों के लिए उत्तरदायी होगी।

**अनुसूची**  
[नियम 10 देखें]

| क्र.सं. | सेवाएँ                                    | श्रेणी/विवरण       | शुल्क (₹)                                           |
|---------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                       | (3)                | (4)                                                 |
| 1.      | स्कीम अनुमोदन                             | 300 जीटी से नीचे   | 16,000                                              |
|         |                                           | 300 जीटी से ऊपर    | 16,000 + 1,000 प्रति अतिरिक्त 100GT (अधिकतम 30,000) |
|         |                                           | प्रति स्कीम संशोधन | 6,000                                               |
| 2.      | किसी भी उपकरण के लिए प्रोटोटाइप अनुमोदन   | टाइप अनुमोदन       | 30,000                                              |
| 3.      | उपकरण या अन्य संबंधित मामलों के लिए वितरण | प्रति आवेदन        | 5,000                                               |
| 4.      | प्रकीर्ण-कोई अन्य अनुरोध                  | प्रति मामला आधार   | 5,000                                               |

[फा. सं. 19014/199/2025-एमजी-भाग (8)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2026.

**G.S.R. 885(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (b) and (h) of sub-section (2) of section 130 and sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 174 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea) Regulations, 1975, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at Sea) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.** — These rules shall apply to—

(a) Indian vessel and other vessels registered in India under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) Indian vessels referred to in Part XIII of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(c) any vessel other than Indian vessel when such vessel is within India, including coastal waters.

**3. Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “Administration” means the Director-General of Marine Administration;

(c) “convention” means the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended; and

(d) “Schedule” means the Schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act or the convention shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the convention.

**4. Traffic separation schemes.** — The traffic separation schemes adopted by the International Maritime Organization, and such other routing measures as may be specified by the Administration, shall be binding on every vessel to which these rules apply.

**5. Obligations after collision or accident.** — (1) In every case of collision, the master shall, in accordance with section 159 of the Act, —

(a) immediately cause a statement of the collision and the circumstances under which it occurred, to be entered in the official logbook, if any, or other record maintained onboard; and

(b) ensure that the entry is signed by the master and also by the officer on watch or by one of the seafarers.

(2) Where any vessel to which these rules apply has sustained or caused any accident occasioning loss of life or any serious injury to any person, or has received any material damage affecting her seaworthiness or her efficiency either in her hull or is so altered in any part of her machinery as not to correspond with the particulars contained in any of the certificates granted under the Act in respect of the vessel, the master or the owner shall, in accordance with section 160 of the Act, as soon as practicable after the occurrence of the accident and, in any event, not later than twenty-four hours, transmit to the Administration or the nearest principal officer a report of the accident or damage and of the probable cause thereof stating the name of the vessel, her official number, her port of registry, the place where she is.

**6. Reporting of violations and incidents.** – (1) Every master or the owner of the vessel to which these rules apply shall comply with the provisions of the convention and shall report any violation by any other vessel to the nearest principal officer or the Administration as soon as practicable.

(2) The Administration shall cause any reported violation or incident to be investigated.

(3) Upon investigation, if the Administration is satisfied that a violation of the convention or of these rules has occurred, the Administration may, without prejudice to section 231 of the Act, take such action as may be required under the applicable provisions of the Act, including detention of the vessel, suspension or cancellation of certificates, or initiation of proceedings.

**7. Certificates of compliance.** – (1) Every vessel to which these rules apply shall comply with the requirements of the convention in relation to lights, shapes, sound-signaling appliances and any other aspects, and such compliance shall be endorsed by a surveyor, on the appropriate certificate issued under the Safety Convention or on such other certificate as the Central Government may specify, confirming that—

- (a) the vessel carries the lights, shapes, and sound-signaling appliances required under the convention;
- (b) such lights, shapes, and sound-signaling appliances are in accordance with the technical specifications specified in the convention; and
- (c) the equipment is properly installed, maintained, and is operational.

(2) No vessel shall proceed to sea without a valid certificate as required under sub-rule (1).

**8. Exemptions for vessels of special construction or purpose.** – (1) Whenever the nautical advisor is satisfied that a vessel of special construction or purpose cannot fully comply with the provisions of the convention with respect to the number, position, range, or arc of visibility of lights or shapes, or the disposition and characteristics of sound-signaling appliances, without interfering with the special function of the vessel, the nautical advisor may, in accordance with the convention, —

- (a) permit such vessel to comply with such other provisions in regard to the number, position, range, or arc of visibility of lights or shapes, or the disposition and characteristics of sound-signaling appliances, as the nautical advisor determines to be the closest possible compliance with the convention; and
- (b) issue a certificate of exemption or alternative compliance specifying the provisions of the convention with which the vessel is required to comply.

(2) Every certificate of exemption or alternative compliance issued under sub-rule (1) shall be carried onboard the vessel and be produced on demand to any surveyor, principal officer, or other authorised officer.

(3) The Administration shall communicate the details of any exemption granted under this rule to the International Maritime Organization in accordance with the convention.

**9. Power to permit alternative provision or arrangement.** – (1) Where any provision or arrangement for lights, shapes, sound-signaling appliances, or other equipment is demonstrated to the satisfaction of the nautical advisor to be as effective as that required by the convention, the nautical advisor may, by order in writing—

- (a) permit such alternative provision or arrangement to be used; and
- (b) specify the conditions and restrictions, if any, subject to which such alternative provision or arrangement may be used.

(2) Every alternative provision or arrangement permitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic survey and inspection to verify continued effectiveness.

**10. Fees for survey and certifications.** – The fees for all plan approval, inspection and survey conducted under these rules, including surveys for initial, renewal, or intermediary certification, shall be payable in accordance with the rates specified in the Schedule.

**11. Penalties.** – Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in section 281 of the Act.

**SCHEDULE**  
**[See rule 10]**

| Sr. No. | Services                                            | Category/Description | Fees (₹)                                            |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                 | (3)                  | (4)                                                 |
| 1.      | Plan Approval                                       | Below 300 GT         | 16,000                                              |
|         |                                                     | Above 300 GT         | 16,000 +1,000 per additional 100GT (Maximum 30,000) |
|         |                                                     | Amendment per plan   | 6,000                                               |
| 2.      | Prototype Approval for any equipment                | Type Approval        | 30,000                                              |
| 3.      | Dispensation for equipment or other related matters | Per Application      | 5,000                                               |
| 4.      | Miscellaneous-Any Other Request                     | Per Case Basis       | 5,000                                               |

[F. No. SY-19014/199/2025-MG-Part(8)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.